न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 11/2018 दायरा दिनांक : 02.01.2018

उनवान

हसीना बेगम पत्नी आजाद खां, जाति मुसलमान, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम थनावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– हरिनारायण आत्मज श्री किशन, जाति धोबी, निवासी ग्राम थनावद, तहसील अकलेरा हाल निवासी निक्की जी की ढाबरी, तहसील अन्ता, जिला बारां

2– मुकेश कुमार आत्मज बाबूलाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम थनावद, तहसील अकलेरा हाल निवासी रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3– दिनेश कुमार आत्मज बाबूलाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम थनावद, तहसील अकलेरा हाल निवासी रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

4– संतोष बाई आत्मज बाबूलाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम थनावद, तहसील अकलेरा हाल निवासी सवाईमाधोपुर, तहसील सवाईमाधोपुर, जिला सवाईमाधोपुर

5– जानकी बाई बेवा बाबूलाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम थनावद, तहसील अकलेरा हाल निवासी रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

6– अब्दुल रशीद आत्मज अब्दुल वहीद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा हाल निवासी कास्या तहसील बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

7– अब्दुल हमीद आत्मज अब्दुल वहीद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8– अब्दुल हकीम आत्मज अब्दुल वहीद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

9– अब्दुल हफीज आत्मज अब्दुल वहीद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

10– बेबी पुत्री अब्दुल वहीद पत्नी अब्दुल हकीम, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, हाल निवासी भरतपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

11– रजिया पुत्री अब्दुल वहीद पत्नी मेहबूब अली, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल नीमथूर नयागांव तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

12– शाहिदा पुत्री अब्दुल वहीद पत्नी उसमान गनी, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल निवासी रीछन्दा, तहसील अटरू, जिला बारां

13– जुबेदा पुत्री अब्दुल वहीद पत्नी अजीम, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल भरतपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

14– फाईमखान आत्मज अब्दुल फरीद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

15– शाहरूख वल्द अब्दुल फरीद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

16– नजमा बेगम आत्मज अब्दुल फरीद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

17– अब्दुल सलीम आत्मज अब्दुल कयूम, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल निवासी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

18– ईदरीश पुत्री अब्दुल कयूम पत्नी मुजफर, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल दहीखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

19– फरजाना पुत्री अब्दुल कयूम पत्नी अब्दुल हसीम, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, हाल भरतपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

20– रिहाना पुत्री अब्दुल कयूम पत्नी जाहिद अली, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

21– जहांआरा पुत्री अब्दुल कयूम पत्नी शहजाद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़

22– शाहीन पुत्री अब्दुल कयूम पत्नी अलीम जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल कोटा जिला कोटा

23– नजमा बेगम बेवा अब्दुल कयूम, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल कोटा जिला कोटा

24– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री विजय कुमार जैन एवं श्री कमलेश अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

श्री बी एल माहेश्वरी एवं श्री गिरीश गौतम अभिभाषक

रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 18.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 137/दावा/2012

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय निर्णय दिनांक 29.11.2017 व डिक्री दिनांक 11.12.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्र संग्रहसार के सर्वथा विपरीत है । वादग्रस्त आराजी ग्राम थनावद, तहसील अकलेरा के माल में खतौनी संख्या 2 नयी खसरा नम्बर 543 रकबा 5.18 बीघा, खसरा नम्बर 548 रकबा 6. 03 बीघा कुल 2 किता की 12.01 बीघा आराजी स्थित है । खसरा नम्बर 543 रकबा 5.18 बीघा के साबिक खसरा नम्बर 316.320 हैं । वादग्रस्त आराजी सैटलमेंट से पूर्व अब्दुल रहमान आत्मज नसीर मोहम्मद के खाते दर्ज थी तथा खातेदार अब्दुल रहमान ने उक्त आराजी जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा साबिक खसरा नम्बर की 807/316 रकबा 0.17 बीघा व खसरा नम्बर 808/316 रकबा 1.12 बीघा व खसरा नम्बर 814/320 रकबा 9.13 बीघा जुमला 3 किता की 12.02 बीघा आराजी श्रीकिशन वल्द भंवरिया जाति धोबी को 500/- रूपये में जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.04.1961 से बेचान कर कब्जा संभला दिया था । बयनामा के आधार पर इन्तकाल नम्बर 210 से उक्त आराजी वादी नम्बर 1 हरिनारायण व वादी नम्बर 2 लगायत 4 के दादा व 5 के दादी ससुर श्री कृष्ण आत्मज भंवरिया जिसे श्री किशन के नाम से भी पुकारते हैं के खाते दज कर दी गई, सैटलमेंट विभाग ने गलती से बिना किसी विधिक अधिकार के बाद श्रीकृष्ण वल्द भंवरिया के खाते दर्ज की गई । वादग्रस्त आराजी को गलती से पुनः विक्रेता अब्दुल रहमान वल्द नसीर मोहम्मद के खाते दर्ज कर दी गई । इस कारण वादी इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर अपने पिता व दादा के खाते की आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी हैं । वादग्रस्त आराजी दिनांक 10.04.1961 सू पूर्व श्री किशन आत्मज भंवरिया तथा उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है । उक्त वादग्रस्त आराजी को अब्दुल रहमान के वारिसान ने पुनः बेचान प्रतिवादी नम्बर 1 हसीना बेगम पत्नी आजाद खां को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 20.06.2012 को कर दिया तथा उक्त बेचान होने से तथा सैटलमेंट द्वारा गलती से पुनः अब्दुल रशीद के खाते दर्ज

(महेन्द्र लोढ़ा)
कोटा (राज.)

कर दिये जाने से वादीगण के टीनेन्सी अधिकारों पर बेअसर है तथा बयनामा प्रारम्भतः शून्य होने से वादीगण के टीनेन्सी अधिकारों पर बेअसर है । मृतक खातेदार श्री किशन वल्द भंवरिया फौत हो गया है उसके वारिस पुत्र वादी नम्बर 1 हरिनारायण है तथा उसका दूसरा पुत्र बाबूलाल भी फौत हो गया है जिसके वारिसान वादी नम्बर 2 लगायत 5 हैं इसमें वादी नम्बर 1 का 1/2 तथा वादी नम्बर 2 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा निहित है । जिसे वह इन्द्राज दुरूस्ती करवाकर खातेदार टीनेन्ट घोषित होने के अधिकारी हैं । वादग्रस्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है कि वादीगण द्वारा स्वयं के मृतक श्री कृष्ण आत्मज भंवरिया के जायज वारिस होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है जबकि प्रतिवादिया क्रम 1 (अपीलांट) ने जवाब वाद के पैरा नम्बर 8 में इस बाबत आपत्ति ली गई थी व इस बाबत् कानूनी तनकी कायम किया जाना आवश्यक था। रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 5 द्वारा स्वयं को कथित मृतक श्री कृष्ण का वारिस बतलाते हुए वाद पेश किया गया है किन्तु कथित श्री कृष्ण आत्मज भंवरिया नामक व्यक्ति की मृत्यु कब हुई, बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है । रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 5 द्वारा कथित सैटलमेंट के बाद के दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2026–2028 में कथित क्रेता श्री किशन का उक्त भूमि पर काश्त करना अंकित न होकर भूमि अब्दुल रहमान के खाते दर्ज होना व नन्दा धोबी द्वारा काश्त करना अंकित है । इन्तकाल नम्बर 210 पेश न होने के बावजूद भी उक्त इन्ताकल के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती का आदेश देकर त्रुटि की है । रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरसत किये जाने अथवा उसे अवैध अथवा शून्य घोषित किये जाने का अधिकार सिर्फ दीवानी न्यायालय को प्रापत है, राजस्व न्यायालय को नहीं । रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 5 द्वारा वाद में अब्दुल रहमान की मृत्यु के बाद खाते गये प्रत्येक इंतकाल को पेश नहीं किया है और न ही उन इंतकाल की संख्या व दिनांक को लिखते हुए उन्होंने निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है जबकि प्रत्येक इंतकाल कब्जे के आधार पर मौका निरीक्षण कर खोला जाता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन [illegible]
कोटा (राज.)

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2017 व डिक्री दिनांक 11.12.2017 अपास्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया गया है ।

तनकी संख्या 1 मुताबिक रिकार्ड निर्णित की गई है ।

तनकी संख्या 2 उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत 2016–19 जिसे एक्जीविट पी 5 से प्रदर्शित किया गया है में वादग्रस्त आराजी 3 किता की 12 बीघा 2 बिस्वा अब्दुल रहमान पुत्र नजीर मोहम्मद के खाते दर्ज है इस जमाबंदी के कॉलम नम्बर 16 में इंतकाल नम्बर 210 में श्रीकृष्ण वल्द भंवर लाल धोबी के मुतलिक दर्ज हुई है अंकित है । पत्रावली पर उपलब्ध नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.04.1961 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि खातेदार अब्दुल रहमान के द्वारा खसरा नम्बर 807/316 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नम्बर 808/316 रकबा 1.12 बीघा, खसरा नम्बर 814/320 रकबा 9.13 बीघा कुल 12.02 बीघा आराजी श्रीकृष्ण को बेचान कर खाते दर्ज कराने का अंकन हो रहा है । यह तनकी मृताबिक रेकार्ड वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में निर्णित की है जो सही है ।

तनकी संख्या 3 नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एक्जीविट पी 7 में तत्कालीन खातेदार अब्दुल रहमान द्वारा श्रीकिशन के नाम बेचान करना अंकित है और नकल जमाबंदी सम्वत 2020–23 एक्जीविट पी 4 में श्रीकृष्ण वल्द भंवर लाल नाम दर्ज है । श्रीकिशन एक ही नाम है अतः यह तनकी वादी रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णीत की गई है जो सही है ।

तनकी संख्या 4 और 5 नकल जमाबंदी सम्वत 2027–30 एक्जीविट पी 6 से प्रदर्शित किया गया है में खसरा नम्बर 543 रकबा 3.13 बीघा एवं 2.13 बीघा, खसरा नम्बर 548 रकबा 6.08 बीघा कुल 12.01 बीघा आराजी अब्दुल रहमान पुत्र नजीर मोहम्मद के नाम दर्ज है । नकल

खसरा गिरदावरी सम्वत 2068–73 एक्जीविट पी 8 में साबिक खसरा नम्बर 316, 306, 320 के हाल खसरा नम्बर 543 रकबा 5.18 बीघा एवं साबिक खसरा नम्बर 320 के हाल खसरा नम्बर 548 रकबा 6.03 बीघा कायम होता है इससे स्पष्ट होता है कि साबिक खसरा नम्बर 316 व 320 की आराजी ततसमय अब्दुल रहमान पुत्र नजीर मोहम्मद के नाम दर्ज थी जिसे दस्तावेज एक्जीविट पी 7 में श्रीकिशन वल्द भंवर लाल को हस्तान्तरित की है । एक्जीविट पी 7 में श्रीकिशन को हस्तान्तरित करने के बाद नामान्तरकरण संख्या 210 श्रीकिशन वल्द भंवर लाल के खाते दर्ज होने के बाद सैटलमेंट विभाग द्वारा बनायी गई जमाबंदी दिनांक 01.07.1966 एक्जीविट पी 3 उसके हाल खसरा नम्बर 543 रकबा 5.18 बीघा, खसरा नम्बर 548 रकबा 6.03 बीघा कुल 12 बीघा 1 बिस्वा पुनः अब्दुल रहमान वल्द नजीर मोहम्मद के नाम दर्ज कर दी जो सैटलमेंट विभाग ने बिना सक्षम न्यायालय एवं सक्षम अधिकार की स्वीकृति के दर्ज कर दी । पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एक्जीविट पी 9 से स्पष्ट होता है कि अब्दुल रहमान के वारिसान अब्दुल रसीद, अब्दुल वहीद वगैरह के द्वारा हसीना बेगम पत्नी आजाद खा निवासी थनावट को बेचान की गई जबकि प्रारम्भ से ही आराजी तत्कालीन खातेदार अब्दुल रहमान के द्वारा दिनांक 19.04.1961 को श्रीकिशन वल्द भंवर लाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी थी लेकिन सैटलमेंट विभाग की गलती से यह आराजी पुनः विक्रेता के खाते दर्ज हो जाने से विक्रेता के वारिसान द्वारा पुनः बेचान की गई जो नियमों के विपरीत है। यह बेचान पत्र दिनांक 20.06.2012 को वादीगण के टीनेन्सी अधिकारों पर बेअसर घोषित किया गया। यह तनकी मुताबिक रिकार्ड सिद्ध होने से वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के पक्ष में तय की गई जो उचित है ।

तनकी संख्या 6 भी मुताबिक रिकार्ड वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के पक्ष में तय की गई है जो सही है ।

तनकी संख्या 7 उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वर्ष 2012 से पूर्व विवादित आराजी श्रीकिशन वल्द भंवर लाल के कब्जे में थी लेकिन सैटलमेंट विभाग द्वारा गलती से आराजी के विक्रेता अब्दुल रहमान के

(महेन्द्र लोढा)
पदेन राजस्व ...
कोटा (राज.)

खाते दर्ज कर देने और अब्दुल रहमान के विरासत का इंतकाल उसके वारिसान के नाम दर्ज हो जाने और वारिसान द्वारा वर्ष 2012 में पुनः उक्त आराजी को हसीना बेगम को विक्रय करने से इस आराजी पर वर्ष 2013 से हसीना बेगम द्वारा आराजी पर कब्जा कर फसल बो दी थी जो बेदखल किये जाने योग्य है यह तनकी भी वादी गण/रेस्पोडेंट 1 से 5 के पक्ष में निर्णीत की गई है जो सही है ।

तनकी संख्या 8 और 9 में अपीलांट प्रतिवादी का कथन है कि आराजी पर उसका वर्ष 2012 से कब्जा चला आ रहा है लेकिन अपीलांट द्वारा अपने कथन में ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि उसका वर्ष 2012 से लगातार कब्जा चला आ रहा हो । यदि यह मान भी लिया जाये कि वर्ष 2012 से उसका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है तो वाद के निर्णय 2017 तक अपीलांट का कुल 5 वर्ष तक कब्जा माना जाएगा। धारा 63 आर टी ए के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से खातेदार श्रीकिशन वल्द भंवर लाल के खातेदारी अधिकार समाप्त होना नहीं माना जा सकता। उक्त तनकी प्रतिवादी अपीलांट द्वारा रिकार्ड और साक्ष्य में प्रमाणित नहीं करने से उनको कोई अनुतोष प्राप्त नहीं होता है। यह तनकी अपीलांट के विरूद्ध फैसला की गई जो सही है ।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व विशेष आपत्तियों में यह कहीं भी कथन नहीं किया गया है कि वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 मृतक श्रीकिशन आत्मज भंवरिया के वारिसान नहीं हैं न ही श्रीकिशन आत्मज भंवरिया का वारिस प्रमाण पत्र अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है । अपीलांट द्वारा अपने जवाबदावे व विशेष आपत्तियों में नामान्तरकरण संख्या 210 एवं मिलान क्षेत्रफल बाबत किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है जिससे कि कोई अन्य तनकी कायम की जा सके । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2017 व डिक्री दिनांक 11.12.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

आज अदालत न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

हसीना बेगम पत्नी आजाद खां जाति मुसलमान, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम धनावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

...... अपीलांट

बनाम

1- हरिनारायण आत्मज श्री किशन, जाति धोबी, निवासी ग्राम धनावद, तहसील अकलेरा हाल निवासी निचली जी की बावरी, तहसील अन्ता, जिला बारां

2- मुकेश कुमार आत्मज बाबूलाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम धनावद, तहसील अकलेरा हाल निवासी रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3- विनेश कुमार आत्मज बाबूलाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम धनावद, तहसील अकलेरा हाल निवासी रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

4- संतोष बाई आत्मज बाबूलाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम धनावद, तहसील अकलेरा हाल निवासी सवाईमाधोपुर, तहसील सवाईमाधोपुर, जिला सवाईमाधोपुर

5- जानकी बाई बेवा बाबूलाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम धनावद, तहसील अकलेरा हाल निवासी रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

6- अब्दुल रशीद आत्मज अब्दुल वहीद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा हाल निवासी कास्या तहसील बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा

7- अब्दुल हमीद आत्मज अब्दुल वहीद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8- अब्दुल हकीम आत्मज अब्दुल वहीद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

9- अब्दुल हफीज आत्मज अब्दुल वहीद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

10- बेबी पुत्री अब्दुल वहीद पत्नी अब्दुल हकीम, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, हाल निवासी भरतपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

11- रजिया पुत्री अब्दुल वहीद पत्नी मेहबूब अली, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल नीमथूर नयागांव तहसील छीपाबड़ोद, जिला बारां

12- शाहिदा पुत्री अब्दुल वहीद पत्नी उसमान गनी, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल निवासी रीछन्दा, तहसील अटरू, जिला बारां

13- जुबेदा पुत्री अब्दुल वहीद पत्नी अजीम, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल भरतपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

14- फाईमखान आत्मज अब्दुल फरीद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

15- शाहरूख वल्द अब्दुल फरीद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

16- नजमा बेगम आत्मज अब्दुल फरीद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

17- अब्दुल सलीम आत्मज अब्दुल कयूम, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल निवासी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

18- ईदरीश पुत्री अब्दुल कयूम पत्नी मुजफर, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल दहीखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

19- फरजाना पुत्री अब्दुल कयूम पत्नी अब्दुल हसीम, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, हाल भरतपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

20- रिहाना पुत्री अब्दुल कयूम पत्नी जाहिद अली, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

21- जहांआरा पुत्री अब्दुल कयूम पत्नी शहजाद, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़

22- शाहीन पुत्री अब्दुल कयूम पत्नी अलीम जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल कोटा जिला कोटा

23- नजमा बेगम बेवा अब्दुल कयूम, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा हाल कोटा जिला कोटा

24- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

...... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबंध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील नं. 11/2018 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा**
मु.द.नं0 137/दावा/2012 निर्णय दिनांक **29.11.2017** व डिक्री दिनांक – **11.12.2017**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 05 माह 03 सन् 2021

हाजरी **श्री विजय कुमार जैन एवं श्री कमलेश** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री बी एल माहेश्वरी** एवं **श्री गिरीश गौतम** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2017 व डिक्री दिनांक 11.12.2017 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **18** माह **03** सन् **2021** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)